

अज़रबैजान गणतंत्र दूतावास

फोन : +91 11 26152228

फैक्स : +91 11 26152227

सलाहकार अनुभाग का कार्यालय समय:- सोमवार * बुधवार * शुक्रवार

9:30 प्रातः से 12:30 अपराह्न (प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों को जमा करना)	4:00 अपराह्न से 5:30 अपराह्न (प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों को प्राप्त करना)
--	--

वीसा की कार्यवाही पूरा करने में 5 से 10 कार्य दिवस लग सकते हैं ।

वीसा का प्रकार	रुकने के दिन	निम्न देशों से पासपोर्ट धारकों के लिए वीसा शुल्क	
एकल प्रवेश वीसा	90 दिन तक	भारत	यू एस डॉलर 46/-
		बांग्लादेश	यू एस डॉलर 50/-
		मालद्वीप	यू एस डॉलर 50/-
		भूटान	यू एस डॉलर 50/-
		नेपाल	यू एस डॉलर 50/-
		श्रीलंका	यू एस डॉलर 50/-
बहु प्रवेश वीसा	180 दिन तक	यू एस डॉलर 350/-	
एकल प्रवेश अंतरण (ट्रांजिट) वीसा	5 दिन तक	यू एस डॉलर 20/-	
दोबार प्रवेश अंतरण (ट्रांजिट) वीसा	5 दिन तक	यू एस डॉलर 40/-	

दूतावास के खाते के विवरण:- कोटक महिंद्रा बैंक, वसंत विहार नई दिल्ली – 110057

खातेदार का नाम:- अज़रबैजान दूतावास

खाता संख्या:- 6111521304

नोट:- दूतावास के सलाहकार विभाग में प्रपत्रों की जांच पड़ताल के लिये दी गई वीसा फीस वापिस नहीं होगी ।

उद्देश्य के अनुसार प्रवास की अवधि

प्रवास का उद्देश्य	प्रवास की अवधि
कार्यालयीन	180 दिन तक
व्यावसायिक	180 दिन तक
शिक्षा	90 दिन तक
नौकरी	90 दिन तक
उपचार	90 दिन तक
मानवीय आधार	90 दिन तक
वैयक्तिक (प्राइवेट)	90 दिन तक
सांस्कृतिक	60 दिन तक
खेलकूद	60 दिन तक
पर्यटन	30 दिन तक

अज़रबैजान गणतंत्र के दूतावास के सलाहकार विभाग में वीसा प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित प्रपत्र देने होंगे:-

कार्यालयीन वीसा:-

- विदेश मंत्रालय से अनुदेश (नोट वरबेल) अथवा दूतावास से संस्तुति ।
- वीसा प्रार्थनापत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ (दूतावास के वेबपेज पर उपलब्ध । प्रश्नों के उत्तर या तो छपे हों, अथवा पूर्ण अक्षरों {ब्लॉक} में हस्तलिखित हो ।)
- पासपोर्ट तथा पासपोर्ट के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति ।
- पासपोर्ट आकार (3x4 से.मी .) के 2 फोटो ।

व्यवसाय, नौकरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, शिक्षा, मानवीय एवं वैयक्तिक प्रवास के लिए वीसा:-

- अज़रबैजान गणतंत्र के विदेश मंत्रालय से भेजा गया वैध निमंत्रण पत्र (यह पत्र केवल एक महीने के लिए है ।)
- प्रार्थनापत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ (दूतावास के वेबपेज पर उपलब्ध । प्रश्नों के उत्तर या तो छपे हों, अथवा पूर्ण अक्षरों {ब्लॉक} में हस्तलिखित हो ।)

- पासपोर्ट या यात्रा के अन्य दस्तावेज़ (पासपोर्ट या यात्रा के अन्य दस्तावेज़ों की सीमा अवधी प्रवास समाप्त होने के काम से काम तीन माह बाद की हो । तथा उन सभी दस्तावेज़ों के मुख्या पृष्ठों की छाया प्रतिलिपि ।
- वायोमैट्रिक पहचान के मापकों क अनुसार दो रंगीन फ़ोटोग्राफ़ ३x ४ से. मी. के माप के जो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लिए गए हैं ।
- यात्रा टिकट की छायाप्रति ।
- स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति (यदि मेज़बान स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च का उत्तर दायित्व नहीं निभाता है)।
- वीसा जारी करने के लिए स्टेट इयूटी भुगतान की रसीद (यह भुगतान की गई राशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी, चाहे वीसा जारी हो या न हो अथवा कोई और आपत्ति दूतावास लगाये ।
- किसी भी संस्था द्वारा किसी विदेशी अथवा किसी राज्य विहीन (stateless) को निमंत्रण करने का प्रार्थना पत्र जो अज़रबैजान गणतंत्र के उचित शासकीय आदेश द्वारा अनुमोदित हो ।
- एक ऐसा दस्तावेज़ जो निमंत्रण का उद्देश्य दर्शाता हो ।
- अशासकीय संस्थाओं के पंजीकरण प्रमाणपत्र की छाया प्रति ।
- ऐसे व्यक्ति विदेशी या राज्य विहीन (), जो उम्र में १८ वर्ष से काम हों और वैध पासपोर्ट धारक हो तथा जो अपने कानूनी संरक्षक के साथ यात्रा न कर रहे हों को अज़रबैजान गणतंत्र में प्रवास/ यात्रा करने के लिए वीसा जारी करने के लिए निम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता है :
 - क) जन्मप्रमाण की प्रतिलिपि
 - ब) उनके माता-पिता की अनुमति
 - स) वैध पहचान पत्र की प्रतिलिपि

नोट : यह तीनों दस्तावेज़ नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित हों ।

- अगर किसी पर्यटन अभिकर्ता (एजेंसी) की सहायता से प्रार्थना पत्र दिया गया है तो प्रार्थी का आधिकारिक पत्र जो नोटरी द्वारा प्रमाणित हो ।
- अगर पर्यटन (टूरिस्ट) वीसा के लिए प्रार्थना पत्र है तो अज़रबैजान गणतंत्र की उस पर्यटन अभिकर्ता (ट्रैवल एजेंसी) के टूरिस्ट वाउचर की प्रति जो वीसा धारक का स्वागत करेगी ।

पर्यटन वीसा के लिये:-

- अज़रबैजान गणतंत्र के विदेश मंत्रालय से निमंत्रण पत्र, जो केवल 30 दिन के लिए वैध है ।
- अज़रबैजान में स्थित पर्यटन एजेंसी, जिसने आवभगत करनी है, का पर्यटन वाउचर ।
- पूर्ण रूप से भरा हुआ वीसा प्रार्थना पत्र ।
- हवाई यात्रा की टिकट की छाया प्रति ।
- पासपोर्ट तथा पासपोर्ट के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति ।
- पासपोर्ट आकार (3x4 से.मी.) के 2 फोटो ।
- एच. आई. वी. जाँच का प्रमाण पत्र ।
- यदि पर्यटन अभिकर्ता (एजेंसी) के द्वारा प्रार्थनीय है तो नोटरीकृत अधिकार प्रमाण पत्र ।

अज़रबैजान गणतंत्र में आगमन पर विदेशी नागरिक एवं अराज्यकृत (स्टेटलेस) व्यक्तियों के प्रवेश वीसा प्राप्त करने की प्रक्रिया में बदलाव:-

अज़रबैजान गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश क्रमांक 326 दिनांक 13 सितम्बर 2010 के अनुसार, निम्न लिखित स्थितियों में विदेशी नागरिक एवं अराज्यकृत (स्टेटलेस) व्यक्ति अज़रबैजान गणतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचकर हवाई अड्डे के वीसा अनुभाग से प्रवेश वीसा प्राप्त कर सकते हैं ।

1. अज़रबैजान गणतंत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्य सरकारों के साथ हुई संधि के अनुसार ।
2. अज़रबैजान गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए राजकीय आमंत्रण पर, अज़रबैजान गणतंत्र के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आधिकारिक आमंत्रण पर, अज़रबैजान गणतंत्र की मिल्ली मजलिस (संसद, पार्लियामेंट) के अध्यक्ष द्वारा दिए गये आधिकारिक आमंत्रण पर, राष्ट्रपति (अज़रबैजान गणतंत्र) के मुख्य कार्यवाहक के आधिकारिक आमंत्रण पर, नखशिवन स्वशासित गणतंत्र की सुप्रीम मजलिस के मुखिया के आधिकारिक आमंत्रण पर आये व्यक्ति ।
3. जो अज़रबैजान में प्रवास के लिए आना चाहते हैं और जिन्हे निम्न अधिकारियों से आधिकारिक आमंत्रण प्राप्त हुआ है:-

- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र के संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष ।
- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के अध्यक्ष ।
- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र के महाभियोजक (जनरल प्रॉसिक्यूटर) ।
- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र के मानवीय अधिकारों के लिए नियुक्त लोकपाल (ओम्बुड्समैन) ।
- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र के चुनाव आयोग के अध्यक्ष ।
- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र के केंद्रीय कार्यपालक निकायों के अध्यक्ष (मुख्य कार्यपालक) ।
- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र की केन्द्रीय बैंक (सेंट्रल बैंक) के गवर्नर ।
- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र के राष्ट्रपति (प्रेसीडेंट) के शासकीय विभाग के मुख्य कार्यकारी ।
- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र के राष्ट्रपति (प्रेसीडेंट) की प्रमुख चिकित्सा सेवा के मुख्य अधिकारी ।
- ❖ अज़रबैजान गणतंत्र की राष्ट्रीय ओलिंपिक कमेटी की मैनेजमेंट समिति ।
- ❖ कॉकस मुस्लिम विभाग के अध्यक्ष ।
- ❖ विदेशी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी जो अज़रबैजान गणतंत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के अनुसार कार्यरत हैं तथा जिनको राज्य पारगमन (माइग्रेशन) सेवा से स्वीकृति प्राप्त है ।

4. विभिन्न देशों के दूतावास के अधिकारी, शासकीय एवं तकनीकी कर्मचारी, कॉन्सुलेट के विदेशी कर्मचारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो अज़रबैजान गणतंत्र में कार्यरत एवं स्थित हैं, के कर्मचारी, सदस्य, उनके परिवारों के सदस्य तथा विदेशी व्यक्ति जिन्हे दूतावास / मिशन के विशेष अधिकार प्राप्त हैं ।
5. आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अज़रबैजान गणतंत्र की आपातकालीन सेवा मंत्रालय के द्वारा निमंत्रित व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा प्रवास
6. परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्रवास के लिए इच्छुक व्यक्ति, बशर्ते इस तरह का वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध हो ।

7. अज़रबैजान गणतंत्र से जिस देश का सीधा हवाई सम्बन्ध है लेकिन जहाँ पर अज़रबैजान गणतंत्र का दूतावास काउंसलेट नहीं है अथवा स्वीकृत (एक्रीडेट) नहीं है, ऐसे विदेशी नागरिक प्रवास के इच्छुक व्यक्ति ।

अज़रबैजान वीसा के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र / इलेक्ट्रॉनिक पर्यटन वीसा
<http://evisa.mfa.gov.az>

घोषणा

अज़रबैजान गणतंत्र का विदेश मंत्रालय यह घोषणा करता है तथा सचेत करता है कि जो विदेशी नागरिक नागोर्नो-काराबाख तथा अन्य अज़रबैजान के क्षेत्र, जो आर्मीनिया गणतंत्र के सैनिक बलों ने अनधिकृत रूप से लगातार घेर रखी है एवं वह अल्पकालीय समय के लिए अज़रबैजान गणतंत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, में प्रवेश / प्रवास / यात्रा करने के इच्छुक हैं अतः ऐसे व्यक्ति, उक्त क्षेत्रों जो अज़रबैजान गणतंत्र के अविभाजित भाग हैं, में प्रवास / यात्रा करते हैं और जिन्हे अज़रबैजान गणतंत्र की सहमति प्राप्त नहीं है वह अज़रबैजान गणतंत्र के प्रभुत्व एवं प्रादेशिक सम्बंधित अधिकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून / नियमों का उल्लंघन करेंगे ।

अतः अज़रबैजान गणतंत्र का विदेश मंत्रालय सभी विदेशी नागरिकों से अनुरोध करता है कि ऐसे व्यक्ति नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र के आस पास के आर्मीनिया गणतंत्र के सैनिक बलों द्वारा अनधिकृत रूप से घिरे क्षेत्र में यात्रा करने से बचें ।

अतः अज़रबैजान गणतंत्र का विदेश मंत्रालय सचेत करता है कि जो विदेशी नागरिक अज़रबैजान गणतंत्र की सहमति बिना इस तरह के अनाधिकृत रूप से घिरे क्षेत्रों में गए हैं या यात्रा की है, उन्हें अज़रबैजान गणतंत्र में प्रवेश करने की अनुमति मना की जा सकती है ।